संख्या- 90 /2019 / 781 /चार-2019 -05 (बजट)/ 2016

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 26 मार्च, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद फैजाबाद में गुमनामी बाबा की सामग्रियों को अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी भवन में प्रदर्शित किये जाने हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 2019 में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1726/उ0प्र0सं0नि0-5(14)/2013 दिनांक 19 मार्च, 2019 तथा शासनादेश संख्या-84/2019/485/चार-2018-5(वि0)/2016 दिनांक 19 मार्च, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद फैजाबाद में गुमनामी बाबा की सामग्रियों को अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी भवन में प्रदर्शित किये जाने हेतु अवशेष कार्य को पूर्ण कराने के लिए रू0 28.57 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

3- उक्त शासनादेश संख्या-84/2019/485/चार-2018-5(वि0)/2016 दिनांक 19 मार्च, 2019 के "प्रस्तर-1 में टंकक त्रुटिवश धनराशि रू0 28.57 लाख अंकित हो गया है, के स्थान पर प्रश्नगत कार्य हेतु बजट प्राविधानित धनराशि रू0 1.00 लाख तथा पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि रू0 28.57 लाख अर्थात कुल 29.57 लाख (रू0 उन्तीस लाख सत्तावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जाती है"

3- शासनादेश संख्या-84/2019/485/चार-2018-5(वि0)/2016 दिनांक 19 मार्च, 2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(शिशिर)
विशेष सचिव

संख्या- 90 /2019 / 781 /चार-2019 -05 (बजट)/ 2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- आहरण वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय लखनऊ
6- परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण इकाई- फैजाबाद।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/